



प्रेस नोट- थाना काँट

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक - 16.07.2025

थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

“थाना काँट पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 चोर को किया गिरफ्तार जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर , 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एक संबल , एक हथौड़ी तथा जामा तलाशी से 7390 रूपये बरामद”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी व वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक काँट के नेतृत्व मे बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 16.07.2025 को वादी देवेश कुमार PNB ददरौल शाहजहाँपुर मोबाइल नंबर 9140867794 ने थाना काँट पर अभियुक्तगण 1. किशन पुत्र रामकुमार निवासी इटोरा गोटिया थाना सेहारा मऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर 2. शंकर पुत्र लालाराम निवासी बरगवां थाना सेहारा मऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर 3. इच्छा राम पुत्र नन्हकू राजपूत निवासी निवास मोहिदीपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर 4. सुखपाल पुत्र छंगालाल निवासी साहब गंज थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर 5. विपिन पुत्र राम प्रसाद निवासी मोहिदीपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर द्वारा चोरी का षडयन्त्र रचकर रात्रि के समय पीएनबी बैंक शाखा ददरौल शाहजहाँपुर का ताला तोड़कर बैंक के अन्दर से चोरी के सम्बन्ध थाना काँट पर मु0अ0सं0 336/2025 धारा 61(2)(b)/ 331(4)/305(e)/62 बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया था। घटना का सफल अनावरण करने एवं इन पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कडे निर्देश दिये गये , सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना काँट पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.07.2025 को अभियुक्तगण 1. किशन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम इटोरा गौटिया थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर 2. शंकर पुत्र लालाराम निवासी ग्राम मरगवां थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर 3. इच्छाराम पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम मोहदीपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर को समय करीब 10.20 बजे पंजाब नेशनल बैंक लालपुर के अन्दर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर दो जिन्दा कारतूस 315 बोर एक संबल एक हथौड़ी जामा तलाशी शंकर से 2550

रु0 किशन से 3000 रु, इच्छाराम से 1840 रुपये बरामद हुये । अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. किशन पुत्र रामकुमार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम इटौरा गौटिया थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहांपुर
2. शंकर पुत्र लालाराम उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम मरगवां थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहांपुर
3. इच्छाराम पुत्र नन्हकू उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम मोहदीपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:—

मु0अ0सं0 336/2025 धारा 61(2)(b)/ 331(4)/305(e)/62 बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण—

- 1.मु0अ0सं0 336/2025 धारा 61(2)(b)/ 331(4)/305(e)/62 बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम
- 2.मु0अ0सं0 303/2025 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस थाना कांट जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर , 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एक संबल , एक हथौड़ी व जामा तलाशी से 7390 रुपये

पूछताछ विवरण -

तीनो अभियुक्तगणों ने एक स्वर में बताया कि हमारा एक साथी सुखपाल पुत्र छंगालाल निवासी ग्राम साहबगंज थाना सेहरामऊ दक्षिणी शाहजहांपुर जो कि बैंक के बाहर निगरानी कर रहा था जो आपको देखकर भाग गया है उक्त बैंक में काफी रू. आना एवं बैंक का लोकेशन की जानकारी हमें विपिन पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम मोहिदीपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी ने दी थी । बैंक से चोरी करने में जो हिस्सा होता उसमें विपिन का भी बराबर का हिस्सा होता बरामद हथौड़ी व संबल के सम्बन्ध में बताया कि यह दोनों औजार हम बैंक की दीवार तोड़कर हम अन्दर घुसने के लिये लाये थे हमने बैंक की दीवार तोड़ने का प्रयास किया लेकिन दीवार तोड़ने में कठिनाई हुई तो हमने बैंक के गेट के ताले तोड़ने में हथौड़ी व संबल का सहारा लिया तथा बरामद रुपये के बारे में पूछा तो तीनो अभियुक्तों ने बताया हम चारों लोगो ने करीब 20 दिन पहले कस्बा कांट में सुनार की दुकान व मेडिकल स्टोर मो0 रिपेयर की दुकान को तोड़कर चोरी की थी जिसमें सुनार की दुकान से चांदी व 1500 रू. मेडिकल से 40000 रू.मो0 की दुकान से छोटा मोटा सामान ले गये थे जिसमें से मिली चांदी को हमने रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर पर एक व्यक्ति को 15000 रू. में बेच दिया था जिस व्यक्ति को हमने दी थी वह हमें पहले कभी नहीं मिला था और हम नाम भी उसका नहीं जानते हैं । चोरी में मिले रू. को हम चारों लोगो ने बराबर – 2 बांट लिया था मोबाईल की दुकान से बरामद रिपेयर का चोरी किया सामान

किसी काम का न होने के कारण हमने गरी नदी में फेक दिया था उन्ही रू. में हमारे पास जो रू. बरामद हुये हैं बचे शेष रू. है। साहब हमसे गलती हो गयी हमें माफ कर दीजिये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार तैनाती
2. उ०नि० घनश्याम बहादुर
3. उ०नि० पंकज कुमार
4. का० 2739 गौरव कुमार
5. का० 2047 विष्णु मलिक